न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 22/2015

दायर दिनांकः 10.08.2015

निर्णय दिनांक 28.11.2025

–: अनवान :–

1. श्रीमती मीरा देवी पुत्री भान सिंह पत्नि नाथु सिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमंद (राज.) हाल निवासी सांगरवास, माता का थान (सुरडिया) तहसील ब्यावर जिला अजमेर
2. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री भान सिंह पत्नि गुलाब सिंह जाति रावत निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमंद हाल निवासी बोर तलाई (ताल) तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भंवर सिंह पिता नीम्ब सिंह जी रावत आयु व्यस्क, निवाती –कथारिया, तहसील भीम जिला राजसमंद

   श्री हजारी सिंह रावत है मृतक के उतराधिकारी
2. नारायणसिंह पिता हजारी सिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया
3. लुम्बसिंह पिता हजारी सिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया
4. हिरासिंह पिता हजारी सिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया,
5. लक्ष्मणसिंह पिता हालसिंह जी जाति रावत आयु बालिग निवासी कथारिया

   श्री देवी सिंह मृतक के उत्तराधिकारी
6. श्री बाबुसिंह पिता देवी सिंह जी रावत निवासी कथारिया

   श्री चीमन सिंह रावत पिता देवी सिंह रावत मृतक के उत्तराधिकारी
7. श्री विजयसिंह पिता चीमन सिंह जी रावत निवाती कथारिया
8. श्री मनोहरसिंह पिता चीमन सिंह जी रावत निवासी कथारिया
9. श्री कुशालसिंह पिता चीमनसिंह जी जाति रावत
10. मु. उगमी पत्नी चीमन सिंह जी रावत, निवासी कथारिया,

    श्री हरि सिंह पिता देवी सिंह रावत मृतक के उत्तराधिकारी
11. प्रहलाद सिंह पिता हरिसिंह जी रावत निवासी कथारिया
12. टीना पुत्री हरि सिंह जी रावत निवासी कथारिया
13. मु. सोहनी पुत्री हरि सिंह जी रावत उम्र 15 वर्ष नाबालिग नि0 कथारिया जरिये संरक्षक दादी पानी देवी पत्नी देवी सिंह जी रावत निवासी कथारिया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

14. मु. सुशीला पुत्री हरि सिंह जी रावत, उम्र 14 वर्ष, नाबालिग जरिये संरक्षक दादी पानी देवी पत्नी देवी सिंह जी रावत निवासी कथारिया
15. श्रीमती पानी देवी पत्नी देवी सिंह जी रावत उम्र व्यस्क, निवासी कथारिया तहसील भीम जिला राजसमंद राज
16. श्रीमान् तहसीलदार साहब भीम जिला राजसमंद राज.

– रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 63 दिनांक 21.12.2001 द्वारा तहसीलदार साहब भीम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 15 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यावाही)
3– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 16

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 63 दिनांक 21.12.2001 द्वारा तहसीलदार साहब भीम पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता श्री भाना पिता फता रावत निवासी कथारिया तहसील भीम जिला उदयपुर की आज से करीब 15 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उनके खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि खाता सं0 35 व 36 संवत 2062 से 2065 मौजा उदपूरा पटवार हल्का लाखागुडा तहसील भीम में हैं। अपीलांट का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैं :–

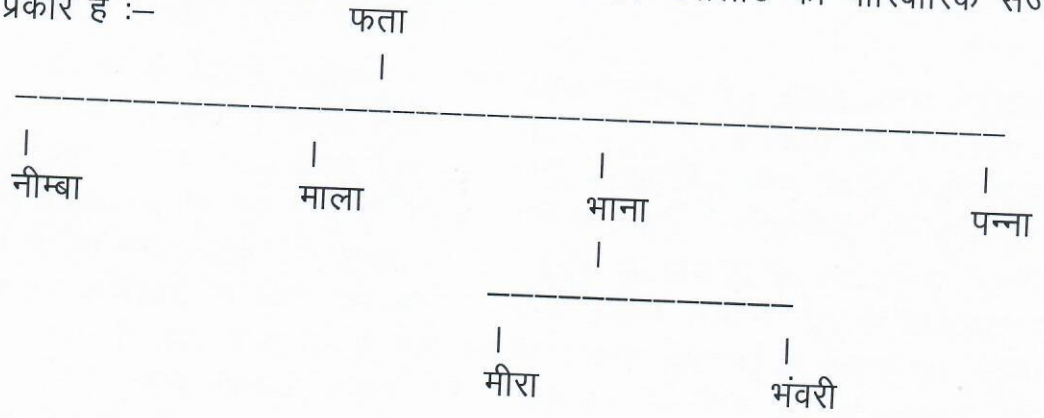

उक्त सजरे के मुताबिक अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद उनकी जायन्दा पुत्रीयां अपीलांट ही उनकी वारिस थी तथा उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण विरासत से उनके नाम खुलना था, किन्तु रेस्पोण्डेन्ट चालाक होकर उन्होने अपीलांट के पिता को ला–औलाद फोत बता कर विरासत से नामान्तरण उनके नाम खुलवा दिया, जो अपीलांट के बड़े पिता के वंशज हैं, तथा चाचा हैं। उक्त नामान्तरण श्रीमान् तहसीलदार साहब ने खोला हैं। अपीलांट्स को सूचना नहीं दी हैं, तथा वारिस होते हुए भी नामान्तरण अन्य व्यक्तियो के नाम खोल दिया है। जिससे उक्त नामान्तरण अवैध होकर

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

काबिल खारिज/निरस्त हैं। अपीलांट शादीशुदा होकर अक्सर ससुराल में रहती थी तथा पीहर मैं कभी आती जाती रहती थी तथा जमीन की देख रेख करती थी तथा अपीलांट्स को नामान्तरण खोलते समय सूचना नहीं देने से उन्हें उक्त नामान्तरण बाबत जानकारी नहीं थी। अपीलांट के खेत से रेस्पोडेन्ट ने पेड काटने शुरू किया तो अपीलांट्स ने रेस्पोण्डेन्ट को पूछताछ कर पता लगाया तो जमीन उनके नाम चले जाने की बात का पता चला, तब अपीलांट ने रेकार्ड का पता कर नकले निकलवाई तो उन्हें दिनांक 5.8.2015 को जानकारी हुई, तब अपीलांट्स ने अपने वकील से मिल कर अपील तैयार कर अविलम्ब पेश की हैं, जो दिनांक 25.12.2001 से आज दिनांक तक मयाद माफी चाहते हुए पेश की जा रही हैं, तथा उक्त अपील जो गलत एवं अवैध नामान्तरण खोल दिया हैं, उसे निरस्त करा पुनः अपीलांट्स के नाम खाते में दर्ज कराने हेतु पेश की जा रही हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर तथाकथित नामान्तरण संख्या 63 दिनांक 26.11.2001 द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब, भीम निरस्त फरमाया जाकर आराजी वादग्रस्त अपीलांट्स के खाते दर्ज कराई जावे ।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 15 अनुपस्थित। उनके अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 31.10.2025 को एकपक्षीय कार्यावाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 16 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के पिता श्री भाना पिता फता रावत निवासी कथारिया तहसील भीम जिला उदयपुर की आज से करीब 15 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उनके खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि खाता सं0 35 व 36 संवत 2062 से 2065 मौजा उदपूरा पटवार हल्का लाखागुडा तहसील भीम में हैं। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद उनकी जायन्दा पुत्रीयां अपीलांट ही उनकी वारिस थी तथा उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण विरासत से उनके नाम खुलना था, किन्तु रेस्पोण्डेन्ट चालाक होकर उन्होने अपीलांट के पिता को ला–औलाद फोत बता कर विरासत से नामान्तरण उनके नाम खुलवा दिया, जो अपीलांट के बड़े पिता के वंशज हैं, तथा चाचा हैं। उक्त नामान्तरण श्रीमान् तहसीलदार साहब ने खोला हैं। अपीलांट्स को सूचना नहीं दी हैं, तथा वारिस होते हुए भी नामान्तरण अन्य व्यक्तियो के नाम खोल दिया है। जिससे उक्त नामान्तरण अवैध होकर काबिल खारिज/निरस्त हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर तथाकथित नामान्तरण संख्या 63 दिनांक 21.12.2001 को निरस्त फरमाया जावे ।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि तहसीलदार, भीम द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश विधिसम्मत है। क्योकि तत्समय यह प्रचलन था कि पुत्रीयों का नाम कृषि भूमियों में नही लिखा जाता था। इसीलिए यह नामातरकरण खोला गया। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट संख्या 01 व 02 भान जी की पुत्रियॉ है। श्री भानसिंह जी की मृत्यु पर उनकी कृषि भूमि का विरासत से नामान्तरण संख्या 63 तहसीलदार भीम द्वारा दिनांक 21.12.2001 को स्वीकृत किया गया। यह नामान्तरण मृतक की पुत्रीयों के नाम पर नही चढाया जाकर द्वितीय अनुसुची के वारिसानो के नाम पर चढा दिया गया हैं। क्योकि मृतक के पुत्र नही थें। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार कोई भी सम्पत्ति जिसकी वसीयत नही की गई हो तो मृतक के प्रथम अनुसुची के जो भी वारिसान हैं। उन सबका बराबर हिस्सा होता हैं। प्रथम अनुसुची के वारिसान नही होने पर द्वितीय अनुसुची के वारिसानो के नाम पर सम्पत्ति का हस्तानान्तरण किया जाता हैं। परन्तु इस प्रकरण में प्रथम अनुसुची की जायन्दा पुत्रीयॉ जो कि अपीलान्ट हैं। उनके नाम नही किया जाकर द्वितीय अनुसुची के वारिसानो के नाम पर किया गया हैं। जो नियम विरूद्ध हैं। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता पेरोकार सरकार का यह कथन है कि उस समय यह प्रचलन था कि पुत्रीयों का नाम कृषि भूमियों में नही लिखा जाता था। इसीलिए यह नामातरकरण खोला गया। परन्तु राजकीय अधिवक्ता का यह कथन कानूनी रूप से मान्य नही हैं।

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा स्वीकृत विवादित नामान्तरकरण संख्या 63 को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 63, दिनांक 21.12.2001 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक श्री भानसिंह के प्रथम अनुसुची के वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरण फैसल करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)